राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2020/15805-15 जयपुर,दिनांक 17.12.2020

जिला कलक्टर,
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड़,
पाली एवं प्रतापगढ़, राजस्थान।

विषयः–खरीफ फसल 2020 (सम्वत् 2077) में सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधी (NDRF) के सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे प्रावधान है।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. जिला कलक्टर द्वारा 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) एवं अन्य (OSMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

3 जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मानदंडानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया जायेगा।

16. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः–
जिला स्तरीय समितिः–जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाऐगा, जो कि जिले में इस कृषि आदान अनुदान वितरण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में प्रभारी अधिकारी (सहायता), उप निदेशक कृषि, लीड बैंकस् ऑफिसर्स एवं कोष अधिकारी मैम्बर्स होंगे। इस समिति के द्वारा इस कृषि आदान अनुदान वितरण के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।
उपखण्ड स्तरीय उपसमितिः–उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व उपकोषाधिकारी को सम्मिलित करते हुये एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस कृषि आदान अनुदान वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

- कॉलम संख्या 11 में 33, 50 या 75 में से कोई एक कोड डाले जावे। इनके अलावा इस कॉलम में और कोई इन्द्राज नही किया जावे।

(1) 33 – (33 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम खराबा)
(2) 50 – (50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम खराबा)
(3) 75 – (75 प्रतिशत से अधिक खराबा)

सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की सूचना विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे। सभी काश्तकारों के डेटा एकत्रित होने में लगने वाले समय को देखते हुए दिनांक 31.12.2020 तक एकत्रित डेटा के आधार पर विभागीय पोर्टल पर बजट मांग की जावे।

18. इस प्रयोजन हेतु **उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा।** सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।

19. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान जिन्होने ठेके पर फसल की है, वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

20. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में:–** यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।

21. **गैर खातेदारी के संबंध में:**–गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।

22. **मृतक खातेदार:**–मृतक खातेदारों की भुगतान योग्य राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। परन्तु यह राशि मृतक खातेदार के हिस्से के अनुरूप निर्धारित अनुदान के बराबर ही होगी।

23. **विवादित भूमि के संबंध में**:–कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा से प्रभावितों को बोई गई फसल में 33 प्रतिशत व इससे अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगा।

24. **मन्दिर माफी भूमि**:–कृषि आदान अनुदान सहायता रिकोर्डेड खातेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन ही जमा करवाया जावे। यदि कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसके खाते में कृषि आदान अनुदान राशि ऑनलाईन जमा करवाई जा सकती है।

25. **सरकारी सेवा में कार्यरत**:–व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार दो हैक्टयर तक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय को अपात्रता का आधार नहीं बनाया जावेगा।

26. **बजट की मांग**:–जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए काश्तकारों की वास्तविक संख्या सूची के अनुसार ही आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे एवं ऑनलाईन डिमांड में यह अंकित करेगें कि "खसरा गिरदावरी के आधार पर आदान अनुदान के लिए तैयार की गई मूल पात्र किसानों की सूची के अनुसार ही ऑनलाईन बजट की मांग प्रस्तुत की गई है।" खसरा गिरदावरी प्रपत्र 7डी में अंकित किसानों की संख्या से अधिक कृषकों को भुगतान नहीं किया जावे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों का विवरण (Details) तहसील स्तर पर यथा सम्भव पूर्ण हो चुका है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।

27. **बैंक खाता**:–समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा, नकद कोई भी भुगतान नही किया जायेगा। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं है, उनके नये खाते बैंक के माध्यम से खुलवानें होंगे जिसमें राशि ऑनलाईन ट्रान्सफर की जा सके।

28. कृषकों के खातों में जमा की गई कृषि आदान अनुदान राशि की साप्ताहिक सूचना जिला कलक्टर राज्य सरकार को अवगत कराऐंगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	देय अनुदान (असिंचित फसल पर 6800/–प्रति है0 बिजली के कुओं व नहरों से सिंचित 13500/– रूपये प्रति है0) (केवल सिंचित क्षेत्र हेतु न्यूनतम रूपये 1000/–)	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण			भुगतान की गयी राशि
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का बैंक खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* वैकल्पिक

कृपया कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु शीघ्र ऑनलाईन बजट प्राप्त कर, प्रभावितों को भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव